भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1416

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

भारतीय विधिक सेवा अधिकारी

1416. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले ने भारतीय विधिक सेवा के अधिकारियों की अधिकरणों में नियुक्ति के लिए दरवाजे पुन: खोल दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने भारतीय विधिक सेवा अधिकारियों को अधिकरणों में नियुक्त किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ख) : 2020 की रिट याचिका (सि) सं. 804, मद्रास बार एसोसिएसन बनाम भारत संघ और एक अन्य में तारीख 27/11/2020 के अपने निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि भारतीय विधिक सेवा (आई एल एस) के सदस्य अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के रुप में नियुक्ति के पात्र होगें, परंतु वे विधि की विशिष्ट शाखा में अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर खोजबीन-सह-चयन-समिति द्वारा निर्धारित उपयुक्तता के अध्यधीन अधिवक्ताओं को लागू मानदंडो को पूरा करते हो। अभिलेख के अनुसार, इस निर्णय के सुनाये जाने के बाद किसी भी अधिकरण में भारतीय विधिक सेवा से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है ।

****